हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

प्राधिकरण की दिनांक 26 दिसम्बर 2007 को सम्पन्न हुई पच्चीसवीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत

स्थानः– सभागार, मण्डलायुक्त कार्यालय, मेरठ

दिनांकः 26 दिसम्बर 2007

समय– 05:00 बजे अपराह्न

सुनियोजित विकास "आपकी आशा – हमारा ध्येय"

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की पच्चीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 26/12/2007 का कार्यवृत्त :

दिनांक 26/12/2007 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभागार, मण्डलायुक्त कार्यालय, मेरठ में प्राधिकरण बोर्ड की पच्चीसवीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1	श्री देवेन्द्र चौधरी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2	श्री जे0 सी0 आदर्श	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड	उपाध्यक्ष
3	श्रीमती (डा0) आभा गुप्ता	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गाजियाबाद (प्रतिनिधिः जिलाधिकारी, गाजियाबाद)	सदस्य
4	श्री बाबू राम	अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (प्रतिनिधिः प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ)	सदस्य
5	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रतिनिधिः वित्त सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ)	सदस्य
6	श्री कृपाल सिंह	अधीक्षण अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम, मेरठ (प्रतिनिधिः प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0 प्र0, लखनऊ)	सदस्य
7	श्री सुशील कुमार	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर (प्रतिनिधिः प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ)	सदस्य
8	श्री राजेश नाथ मिश्र	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0 प्र0 (प्रतिनिधिः आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0 प्र0)	सदस्य
9	श्री ज्योति प्रसाद	सहायक नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्रतिनिधिः मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद)	सदस्य
10	श्री वी0 एन0 सिंह	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा/हापुड़	सदस्य
11	श्री आर0 पी0 कौशिक	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधिः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0 लखनऊ)	सदस्य
12	श्री कर्ण सिंह चौहान	सचिव, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़	संयोजक

विशेष आमंत्री

1	श्री शशि कान्त मेहरोत्रा	अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
1	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	वित्त नियंत्रक, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़
2	श्री विजय पाल सिंह	डिप्टी कलेक्टर, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

26.12.2007

उपाध्यक्ष

जे० सी० आदर्श
पी० सी० एस०
उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़ (गाजियाबाद) उ० प्र०

अध्यक्ष

बैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार हैं:--

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की चौबीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 05/12/2007 की कार्यवाही की पुष्टि।	चौबीसवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गयी।
2	प्राधिकरण की चौबीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 05/12/2007 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	गत बोर्ड बैठक दिनांक 05/12/2007 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निम्न के अतिरिक्त अन्य मदों को अनुमोदित किया गया:– **(क) 21वीं बोर्ड बैठक से संबंधित** **मद सं0 09–** प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0 प्र0 शासन के प्रतिनिधि से पुनः पिलखुवा महायोजना–2021 पर शीघ्र अनुमोदन दिलाने हेतु अनुरोध किया गया। **(ख) 23वीं बोर्ड बैठक से संबंधित** **मद सं0 07–** अवशेष आठ कालोनियों का भी ले–आउट प्लान तैयार कराकर आगामी बोर्ड बैठक में अद्यतन शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अवगत कराया जाये। **मद सं0 08–** गढमुक्तेश्वर–बृजघाट महायोजना–2021 में प्रश्नगत स्थल को स्पॉट जोन (संस्थागत) रखा जाये। महायोजना का अनुमोदन शासन से प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र के निस्तारण के संबधं में नियमानुसार कार्यवाही की जाये। कोई अतिरिक्त निर्माण अनुमन्य न किया जाये।
3	गढमुक्तेश्वर–बृजघाट महायोजना–2021 स्वीकृति के संबंध में।	शासनादेशानुसार गठित कमेटी के द्वारा आपत्तियों की सुनवाई कर की गयी संस्तुतियों/निस्तारण का संज्ञान लिया गया और सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। महायोजना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0 प्र0 के प्रतिनिधि सहयुक्त नियोजक के सुझाव के अनुसार निम्न संशोधन एवं प्राविधानों के साथ अनुमोदित की गयी।

26.12.2007

उपाध्यक्ष

जे० सी० आदर्श
पी० सी० एस०
उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़ (गाजियाबाद) उ० प्र०

अध्यक्ष

			1. महायोजना प्रारूप मानचित्र में ग्रीन बेल्ट/ऑर्चर्डस भू–उपयोग श्रेणी ग्रीन बेल्ट तथा ऑर्चर्डस को अलग–अलग किया जाये। ऑर्चर्डस कृषि भू–उपयोग है, इसके स्थान पर संबंधित क्षेत्रों में मनोरंजन भू–उपयोग निर्धारित किया जाये। 2. मार्गों के साथ ग्रीन बेल्ट का प्राविधान आवश्यक है, परन्तु प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट को यथावत बनाये रखने के उद्देश्य से इस हेतु छोडी गयी भूमि को एफ0ए0आर0 गणना के लिये भूखण्ड के क्षेत्रफल में सम्मिलित किया जाये। यदि संबंधित भू–स्वामी ग्रीन बेल्ट की भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित करता है, तो उसके सापेक्ष भू–स्वामी को निर्मित क्षेत्र से बाहर किसी भी गैर कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत एफ0ए0आर0 आवंटित कर दिये जाने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव महायोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये। 3. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के साथ कहीं भी व्यवसायिक भू–उपयोग महायोजना प्रारूप में अथवा समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है, जबकि व्यवसायिक कियाओं के नियोजित विकास के लिये व्यवसायिक भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के साथ प्रस्तावित हल्के उद्योग भू–उपयोग क्षेत्र में स्याना मार्ग चौराहे के समीप तथा प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग के निकट दो स्थलों पर व्यवसायिक भू–उपयोग निर्धारित किया जाये। इन दोनों व्यवसायिक स्थलों पर छुट–पुट दैनिक उपयोग की दुकानें अनुमन्य न की जायें। उक्त दोनो स्थलों पर न्यूनतम पांच हजार वर्ग मीटर के भूखण्डों का व्यवसायिक भू–उपयोग के अनुरूप निर्माण अनुमन्य किये जाने का प्राविधान प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये। 4. स्याना मार्ग पर हल्के उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर की गहराई तक प्राधिकरण की सीमा तक हल्के उद्योग भू–उपयोग निर्धारित किया जाये। 5. पार्किंग स्थल भू–उपयोग क्षेत्र में पार्किंग प्लाजा/मल्टी लेवल पार्किंग का प्राविधान किया जाये। 6. सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का जो प्राविधान किया गया है, उसके अतिरिक्त एक – दो और एस0 टी0 पी0 चिन्हित किये जायें।

26.12.2007

उपाध्यक्ष

जे० सी० आदर्श
पी० सी० एस०
उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़ (गाजियाबाद) उ० प्र०

अध्यक्ष

		7. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से ग्राम बिहूनी की ओर मार्ग पर कृषि उत्पादन मण्डी समिति हेतु प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग थोक व्यवसायिक किया जाये। 8. बृजघाट पुलिस चौकी से सामने स्वीकृत रेलवे के लेवल क्रासिंग को दृष्टिगत रखते हुए कार्तिक मेला/बंधा के लिये वैकल्पिक मार्ग का प्राविधान किया जाये। गढ़मुक्तेश्वर महायोजना–2021 प्रारूप मानचित्र एवं प्रतिवेदन में यथा आवश्यकतानुसार उपरोक्त संशोधन एवं नीतियों का समावेश करते हुए महायोजना शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाये।
4	हापुड़ महायोजना–2005 के सापेक्ष अनाधिकृत निर्माण/विकास के संबंध में।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0 प्र0 के प्रतिनिधि सहयुक्त नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि अद्यावधिक सेटेलाइट इमेज नेशनल रिमोट सेसिंग एजेन्सी, हैदराबाद से प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर बेसमैप तथा वर्तमान भू–उपयोग तैयार किया जाये। मार्गों, ग्रामीण आबादी तथा भौतिक विकास की वास्तविक स्थिति को दर्शाया जाये। 2. प्राधिकरण एवं अन्य शासकीय अभिकरणों द्वारा हापुड़ महायोजना–2005 के विपरीत जो विकास एवं निर्माण कराये गये हैं, उन सभी को चिन्हित किया जाये तथा इस शर्त के साथ महायोजना–2021 में समायोजित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार के निर्माण एवं विकास की पुनरावृत्ति न की जाये। 3. अनाधिकृत रूप से विकसित/निर्मित कालोनियां, जो भू–उपयोग के अनुरूप हैं, को महायोजना–2021 में यथावत् समायोजन किया जाये तथा शासन की नीति के अनुसार ही इनका नियमितीकरण किया जाये। 4. सडक की चौडाई (रोड वाइडनिंग) में स्थित निर्माणों को नियमित न किया जाये एवं यदि रोड वाइडनिंग के अन्तर्गत आने वाली भूमि किसी अन्य की है, तो उसे संबंधित विभाग/पी0डब्लू0डी0 द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही की जाये। अन्य अनाधिकृत निर्माणों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद नियोजन की दृष्टि से अद्यतन शासनादेशानुसार परीक्षण कर महायोजना में समायोजित करने की कार्यवाही करें।

26·12·2007

उपाध्यक्ष

जे० सी० आदर्श
पी० सी० एस०
उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़ (गाजियाबाद) उ० प्र०

अध्यक्ष

		हापुड़ महायोजना 2021 का प्रारूप यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।
5	मै0 सरस्वती अम्माल एजूकेशल ट्रस्ट द्वारा हरित पटटी में किये गये निर्माण के सम्बंध में।	जोनिंग रेग्यूलेशन के अनुसार हरित पटटी में प्रदान की जाने वाली अनुमन्यता के अनुसार बेसमेंट के निर्माण को शमनित किया जाये परन्तु सतही भाग (ग्राउण्ड लेवल) को हरा-भरा रखा जाये।
6	हापुड़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निजामपुर तिराहे से बुलन्दशहर रोड तक बाईपास के समानान्तर सरकुलेशन रोड निर्माण हेतु भू-अर्जन एवं निर्माण के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बिल्डर्स/यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 से सडक निर्माण में आने वाले वास्तविक व्यय को आनुपातिक आधार पर लिया जाये।
7	ग्राम श्यामनगर की ओर जाने वाले सरकुलेशन रोड हेतु भूमि अर्जन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बिल्डर्स से लिये जाने वाले बाहय विकास शुल्क के मद में सडक निर्माण पर आने वाले वास्तविक व्यय को आनुपातिक आधार पर लिया जाये।
8	हापुड़ में ग्राम अच्छेजा की 34.2558 हेक्टेयर भूमि पर सिटी सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि अर्जन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टीसिपेशन (पी.पी.पी.) के आधार पर सिटी सेन्टर विकसित किये जाने हेतु मैनेजमेंन्ट कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जाये एवं प्राइवेट आर्कीटेक्ट, डिजाइनर्स आदि की भी सुविधा ली जायें।

अंत में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

26.12.2007

(जे0 सी0 आदर्श)
उपाध्यक्ष
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

जे० सी० आदर्श
पी० सी० एस०
उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़ (गाजियाबाद) उ० प्र०

26.12.07

(देवेन्द्र चौधरी)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/
अध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण,
हापुड़

देवेन्द्र चौधरी
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ